न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बिट्रेटर) सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र. (आर्बिट्रेशन) संख्या 84/21 वर्ष 2021
GCMS No- 2021/234

बउनवानीः— 1. अंकित पुत्र रामजीलाल
2. चन्द्रकला पुत्री रामजीलाल मीना
3. फिल्मा पुत्री रामजीलाल मीना
4. सफेदी पुत्री रामजीलाल मीना
5. मनीषा पुत्री रामजीलाल मीना समस्त नाबालिग जरिये संरक्षक पिता रामजीलाल मीना निवासी शहादत नगर, बालीथल, तहसील उनियारा जिला टोंक
6. अशोक पुत्र श्योजी मीना निवासी शहादत नगर बालीथल, तह0 उनियारा
7. निस्कोटर पुत्र श्योजी मीना निवासी शहादत नगर बालीथल, तह0 उनियारा
8. पुष्पा देवी पत्नि स्व0 श्योजी मीना निवासी शहादत नगर बालीथल, तह0 उनियारा
9. बाबूलाल पुत्र श्योजी मीना निवासी शहादत नगर बालीथल, तह0 उनियारा

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना कियान्वयन, ईकाई कार्यालय पटेल नगर, अनाज मण्डी रोड़ सवाईमाधोपुर,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,64 राईटू फेयर कम्पेशेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट,2013 बाबत एन.एच.148 एन. के तहत ग्राम बिलोपा तहसील सवाईमाधोपुर की अवाप्तशुद्धा भूमि खसरा नम्बर 1776 रकबा 0.81 है0 ख0न0 1777 रकबा 0.20 है0 का अवार्ड देने बाबत।

उपस्थितः—1. श्री भोलाशंकर शर्मा वकील प्रार्थी
2. श्री दीपक शर्मा वकील अप्रार्थी 2

—: निर्णय :— **दिनांकः— 26.10.2023**

प्रार्थी द्वारा यह अन्तर्गत धारा,64 राईटू फेयर कम्पेशेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट,2013 बाबत एन.एच.148 एन. के ग्राम बिलोपा तहसील सवाईमाधोपुर की अवाप्तशुद्धा भूमि खसरा नम्बर 1776 रकबा 0.81 है0 ख0न0 1777 रकबा 0.20 है0 का अवार्ड देने बाबत जारी नोटिस कमांक/पीए/भूमि अवाप्ति/संरचना/2021/343 दिनांक 3.8.2021 को निरस्त करवाने बाबत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया साथ ही विपक्षीगणों की भी तलवी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन.के. (दिल्ली—बडौदरा एक्सप्रेस वे के 236 से 304 किमी निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क.अ. 2306 (अ)दिनांक 6.6.2018 द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को भूमि अवाप्ति अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया था। दिनांक 4.1.2019 को धारा 3डी राष्ट्रीय राज[illegible]नियम के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की गयी जिसके द्वारा वाके ग्राम [illegible]पुर की अवाप्तशुद्धा भूमि खसरा नम्बर 1776 रकबा 0.81 है0 ख0न0 1777 रकबा 0.20 है[illegible] अवाप्त की गयी है जि[illegible] प्रार्थीगण खातेदार है। उक्त भूमि पर अमरूद के 200 पौधे 7 वर्ष पुराने तथा एपल बोर के [illegible] पौधे 6

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:47:36 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

वर्ष पुराने लगे हुए है जिनमे से अमरूद के 70 पौधे एवं एपल बोर के 26 पौधे सड़क निर्माण हेतु अवाप्त की गयी भूमि मे आ गये है। सम्वत् 2074 की खसरा गिरदावरी मे बगीचा सरसब्ज मौके पर होना दर्ज कर रखा है जिसके आधार पर पौधो की आयु 6 व 7 वर्ष की बनती है। उक्त संबंध में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को आपत्ति दर्ज करा दी गयी है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी तरह की कोई सुनवायी नही की गयी है। अतः उक्तानुसार मुआवजा प्रार्थी को दिलवाये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सवाईमाधोपुर जिलें मे ए.एच.148एन के कि.मी. 236 से कि.मी.304.4 तक के निर्माण (चौडीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचलन के लोक प्रयोजन के लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हेतु अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2306(अ) दिनांक 5.6.2018 द्वारा नियुक्त किया गया है तत्पश्चात राजमार्ग के प्रावधान 3(ए) की अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को अधिसूचना जारी की गयी जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 23.8.2018 को प्रकाशित किया गया। दो समाचार पत्र ''दैनिक भास्कर ''एवं ''राजस्थान पत्रिका ''में दिनांक 8.9.2018 को किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति की सुनवायी सक्षम अधिकारी कर सकता है। जिसके परिप्रेक्ष्य मे जो आपत्तियॉ प्रस्तुत की गयी उनका धारा 3 सी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया जाता है। उसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3डी की उपधारा 1 के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गयी जिसके आधार पर दिनांक 4.1.2019 को धारा 3(डी) की अधिसूचना जारी की गयी जिसमे अवाप्त भूमि की *किस्म बारानी–1 असिचिंत* दर्ज करते हुए स्वामित्वधारी का उल्लेख किया गया। इस अधिसूचना के राजपत्र मे दिनांक 7.1.2019 को प्रकाशन पर उक्त अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो जावेगी। अधिसूचना जारी कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर दिनांक 12.6.2019 को अवार्ड पारित कर दिया गया है। उक्त अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा–3ए की अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विक्रय विलेखो की संख्या के अधिकतम दर के आधे विक्रय पत्रों की औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डीएलसी दर का संज्ञान लेते हुए बाजार मूल्य निर्धारित किये गये है प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि का अवार्ड उनके पक्ष मे जारी किया जा चुका है। सर्वे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार वाके ग्राम बिलोपा तहसील स0मां0 की भूमि खसरा नम्बर 1776 पर स्थित 70 अमरूद के पौधो की आयु 3 वर्ष मानते हुए 2,66,700/–रू अवार्ड राशि एवं 10 एपल बोर के पौधो की अवार्ड राशि 85,020/–रू पारित किया गया है। इसी प्रकार ख0न0 1777 की भूमि पर स्थित 16 एपल बोर के पौधो की आयु 5 वर्ष मानते हुए 1,50,432/–रू का अवार्ड पारित किया गया है। वकील प्रार्थी द्वारा अवाप्त की गयी भूमि पर अवाप्त हुए 70 अमरूद के एवं 26 एपल बोर के पौधो की संख्या तो सही बतायी है किन्तु अवाप्त हुए उक्त पौधो की आयु 7 एवं 6 वर्ष पुराने होने के संबंध मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किया है तथा प्रस्तुत सम्वत 2074 की खसरा गिरदावरी के आधार पर भी उक्त पौधो की आयु 7 वर्ष एवं 6 वर्ष नही बनती है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र तथ्यहीन होने के कारण खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब/बहस में निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:47:36 IST
Reason: SelfAttested

......(2)......

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

वकील उभय पक्षो की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वाके ग्राम बिलोपा तहसील सवाईमाधोपुर की अवाप्तशुद्वा भूमि खसरा नम्बर 1776 रकब्रा 0.81 है० ख०न० 1777 रकबा 0.20 है० भूमि पर अमरूद के 200 पौधे 7 वर्ष पुराने तथा एपल बोर के 100 पौधे 6 वर्ष पुराने लगे हुए है जिनमे से अमरूद के 70 पौधे एवं एपल बोर के 26 पौधे सड़क निर्माण हेतु अवाप्त किये गये है। सम्वत् 2074 की खसरा गिरदावरी मे बगीचा सरसब्ज मौके पर होना दर्ज कर रखा है। वकील अप्रार्थी के अनुसार ग्राम बिलोपा तहसील सवाईमाधोपुर की भूमि खसरा नम्बर 1776 पर स्थित 70 अमरूद के पौधो की आयु 3 वर्ष मानते हुए 2,66,700/—रू अवार्ड राशि एवं 10 एपल बोर के पौधो की आयु 7 वर्ष मानते हुए अवार्ड राशि 85,020/—रू पारित किया गया है। इसी प्रकार ख०न०. 1777 की भूमि पर स्थित 16 एपल बोर के पौधो की आयु 5 वर्ष मानते हुए 1,50,432/—रू का अवार्ड पारित किया गया है। इस प्रकार वकील प्रार्थी द्वारा सड़क निर्माण हेतु अवाप्त की गयी भूमि पर लगे हुए 70 अमरूद के एवं 26 एपल बोर के पौधो की संख्या तो सही बतायी है, किन्तु अवाप्त हुए उक्त अमरूद के पौधो की आयु 7 एवं एपल बोर के पौधो की आयु 6 वर्ष पुराने होने के संबंध मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किया है जहॉ तक प्रस्तुत साक्ष्य यथा सम्वत् 2074 की खसरा गिरदावरी का प्रश्न है तो उक्त खसरा गिरदावरी के आधार पर भी उक्त पौधो की आयु 7 वर्ष एवं 6 वर्ष नही बनती है। अतः उक्त अवाप्त पौधो का अवार्ड प्रार्थी के चाहे अनुसार दिया जाना सम्भव नही है। ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा विधिसम्मत पारित अवार्ड मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रार्थी के पक्ष मे उक्तानुसार पारित अवार्ड यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:47:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner